

- : आदेश :-

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर वाद वादी का स्वीकार किया जाकर डिक्री निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

1. वादी धनाराम के बंट एवं खातेदारी में ग्राम जायल के खेत खसरा नम्बर 217 रकबा 2.2420 हैक्टेयर में से रकबा 1.1145 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
2. प्रतिवादी संख्या 9 से 12 के संयुक्त बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में ग्राम जायल के खेत खसरा नम्बर 217 रकबा 2.2420 हैक्टेयर में से रकबा 1.1145 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर सहखातेदारी की घोषणा की जाती है।
3. वादी धनाराम के बंट एवं खातेदारी में ग्राम जायल के खेत खसरा नम्बर 217 रकबा 2.2420 हैक्टेयर में से रकबा 0.0065 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार रास्ते के उपयोग हेतु वादी के हक बंट में रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
4. प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 एवं 13 से 19 के आराजी भूमि में से बंट नहीं रखने से तथा उक्त प्रतिवादी गण द्वारा अपन हक त्याग करने से प्रकरण पुश्तैनी भूमि का हक त्याग के द्वारा भूमि अंतरण का होने से नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटि लिये जाने के प्रावधान होने से स्टाम्प ड्यूटि जमा होने पर राजस्व रिकोर्ड पर अमल दरामद की कार्यवाही करें।

माफिक वादपत्र के संलग्न नजरी नक्शा डिक्री आदेश का भाग रहेगा।



(श्रीमती काश वर्मा)
(सहायक) कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

निर्णय आज दिनांक 28/12/23 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्रीमती काश वर्मा)
(सहायक) कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल